राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः प.13(30)/वित्त/राजस्व/76 पार्ट–2

जयपुर, दिनांक : 28.02.2014

आदेश

राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार के राज्य बीमा विभाग की 31 मार्च, 2011 को बीमा निधि की बीमांकिक मूल्यांकन में की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित बोनस घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. 31–3–2011 को प्रवृत उन समस्त सावधि समाश्वासन संविदाओं पर जो 1–4–2010 को या उसके पश्चात् अथवा प्रारंभ की तारीख को, जो भी बाद में हो और 31–3–2011 के पूर्व स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन वर्ष की बाबत पूरी बीमाकृत राशि के लिये, बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मलित है, के प्रत्येक हजार पर 90/– रूपये प्रतिवर्ष का साधारण प्रतिवर्ती बोनस।

2. 31–3–2011 को प्रवृत उन समस्त आजीवन समाश्वासन संविदाओं पर जो 1–4–2010 को या उसके पश्चात् अथवा प्रारम्भ की तारीख को जो भी बाद में हो और 31–3–2011 के पूर्व स्वीकृत हुई हों, प्रत्येक समाश्वासन वर्ष की बाबत पूरी बीमाकृत राशि के लिये, बीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, के प्रत्येक हजार पर 112.5/– रूपये प्रतिवर्ष का साधारण प्रतिवर्ती बोनस।

3. 31–3–2011 के पश्चात् और अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता एंव मृत्यु दावों में परिणित होने वाली उन समाश्वासन संविदाओं पर जो 31–3–2011 को या उसके पश्चात् स्वीकृत हुई हों, प्रत्येक समाश्वासन के लिये निम्न प्रकार से अंतरिम बोनस :–
    1. सावधि समाश्वासन की बीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर 90/– रूपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।
    2. आजीवन समाश्वासन की बीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर 112.5/– रूपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।

4. अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता दावों में परिणित होने वाली पालिसियों की बाबत, समाश्वासन का प्रारंभ होने से लेकर परिपक्वता की तारीख तक प्रत्येक समाश्वासन वर्ष के लिये, बीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर प्रति हजार 4/– रूपये की दर से टर्मीनल (पर्यवतायी) बोनस (अंतरिम बोनस के अतिरिक्त)।

5. उपरोक्त पैरा 1, 2 और 3 में उल्लेखित बोनस की दरें उन समाश्वासन संविदाओं पर लागू नहीं होगी जो इस आदेश के जारी होने के पूर्व परिपक्वता एवं मृत्यु दावों में परिणित हो गये है, और ऐसे समाश्वासन संविदाऐं सरकार द्वारा आदेश संख्या एफ.13(30)वित्त/राजस्व/76 पार्ट–2 दिनांक 21.08.2013 द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार निपटायी जायेंगी।

आज्ञा से

संयुक्त शासन सचिव
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है</u> :–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
3. निदेशक, राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त कलेक्टर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, (संयुक्त निदेशक) वित्त विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

28.2.2014

संयुक्त शासन सचिव
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग